

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद-अयोध्या।
पीठासीन अधिकारी: सुरेन्द्र मोहन सहाय,उच्चतर न्यायिक सेवा ।
(J.O. Code: UP6117)
दाण्डिक निगरानी सं० 70/2023
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं 84/2023
CNR No. UPFZ010027102023

रियासत अली आयु लगभग 30 वर्ष पुत्र स्व० रफीक, निवासी- ग्राम असरेवा(रामपुर),
थाना- कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या।

-----निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- राज्य सरकार उ०प्र०।
- 2- **इजहार अहमद** आयु लगभग 25 वर्ष पुत्र एजाज अहमद
- 3- **गीबू उर्फ इमरान** आयु लगभग 20 वर्ष पुत्र एजाज अहमद
- 4- **गहीदा** आयु लगभग 45 वर्ष पत्नी एजाज अहमद
- 5- **गोयब** आयु लगभग 21 वर्ष पुत्र इलियास
- 6- **हसीना** आयु लगभग 40 साल पत्नी इलियास
- 7- **एजाज अहमद** आयु लगभग 48 साल पुत्र मुख्तार अहमद
समस्त निवासीगण-निवासी- ग्राम असरेवा(रामपुर), थाना- कोतवाली बीकापुर,
जनपद अयोध्या।

-----विपक्षीगण

निर्णय

1. यह दाण्डिक निगरानी, विद्वान सिविल जज सी०डी० तृतीय/ऐ०सी०जे०एम०, अयोध्या द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-37404/2022, रियासत अली बनाम इजहार अहमद आदि, अंतर्गत धारा- 156(3) द०प्र०सं० में पारित आदेश दिनांकित 15.04.2023 के क्षुब्ध होकर संस्थित की गई है। उक्त आदेश के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० निरस्त कर दिया है।
2. संक्षेप में निगरानी के निस्तारण के लिए सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि माननीय अवर न्यायालय द्वारा बगैर साक्ष्यों का अवलोकन किये हुए उक्त आदेश पारित कर महान भूल किया है। अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थी चोटहिल निगरानीकर्ता को चिकित्सीय परीक्षण/मेडिकल का बिना अवलोकन किये उक्त आदेश दिनांक- 15.04.2023 पारित किया जो किसी भी दशा में बने रहने योग्य नहीं है। निगरानी में मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.04.2023 सरसरी तौर पर बिना प्रारम्भिक जांच का हवाला दिये पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना आदेश पारित किया गया है।
3. निगरानीकर्ता लगातार विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चला आ रहा है। विपक्षीगण सं 2 ता 7 की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं है। विपक्षी संख्या 1 राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अयोध्या उपस्थित

हैं, उनकी बहस सुनी गई। विधि व्यवस्था सन्तोष बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (2010)3 SCC (Criminal) पेज 307 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि "निगरानी का निस्तारण गुण-दोष पर ही किया जाना चाहिए।"

4. आपराधिक निगरानी के मामले में निगरानी न्यायालय को यह देखना होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई तात्त्विक अनियमितता, अवैधानिकता अथवा क्षेत्राधिकार से परे आदेश पारित तो नहीं किया गया है, क्योंकि निगरानी न्यायालय मामले की तथ्यपरक जाँच नहीं कर सकती, न ही अपने निष्कर्ष को तथ्यों पर अवलम्बित कर सकती है जब तक कि यह साबित नहीं हो कि प्रश्नगत आदेश (परवर्स) है, इसलिए न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य उपलब्ध था उन्हें न्यायालय के आदेश में उल्लेख नहीं किया गया है।

5. निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य मकान बंटवारे का दीवानी मुकदमा न्यायालय सीविल जू०डि० सप्तम् में विचाराधीन है। इसी बात को लेकर विपक्षीगण बीच-बीच में आये दिन विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी के शिकायती प्रार्थनापत्र पर थानाध्यक्ष द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध 107/116 द०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी है। इसी बात से नाराज होकर विपक्षीगण एकजुट होकर दिनांक- 30.10.2022 को सुबह 7 बजे आये तथा भद्दी-भद्दी गाली देते हुए लात-घूसे, लाठी-डण्डे से मारने पीटने लगे। प्रार्थनापत्र के कथनों से प्रथम दृष्टया उभयपक्ष के मध्य पैतृक संपत्ति को लेकर बंटवारे का मुख्यतः सिविल प्रकृति का विवाद होना प्रतीत होता है। प्रार्थनापत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा विधिक परामर्श के आधार पर सिविल प्रकृति के विवाद को आपराधिक रंग देकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिया गया यह अभिमत कि इस मामले में प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध कारित होना परिलक्षित नहीं होता है, विधि संगत है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपने क्षेत्राधिकार में पारित किया गया है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। प्रस्तुत निगरानी बलहीन है और निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी सं० 70/2023 निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद सं० 37404/2022 रियासत अली बनाम इजहार अहमद आदि, अंतर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं०, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या में पारित आदेश दिनांक 15.04.2023 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)

J.O. Code: UP6117

दिनांक 06-03-2026

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)

J.O. Code: UP6117

दिनांक 06-03-2026

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या